



हिन्दी और जनसंचार माध्यम

डॉ.अर्चना गौतम

सहायक निदेशक (रा.भा)
भारतीय फिल्म और टेलीविज़न
संस्थान,
लॉ कॉलेज रोड, पुणे-411004

डॉ.अर्चना गौतम, हिन्दी और जनसंचार माध्यम, आखर हिंदी पत्रिका, खंड 3/अंक 4/ सितंबर 2023, (432-439)

भाषा मनुष्य के विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। कभी-कभी मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि भाषा न होती तो क्या मनुष्य इतनी प्रगति कर पाता, जितनी उसने आज की है। भाषा के बिना मनुष्य का जीवन कैसा होता? क्या भाषा के अभाव में उसके लिए प्रगति करना संभव हो पाता? शायद नहीं। भाषा संप्रेषण का माध्यम होने के साथ-साथ उसका समाज और संस्कृति से भी संबंध होता है। जब हम किसी देश या राष्ट्र को या उसके विषय में जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसकी भाषा जानना अति आवश्यक हो जाता है। भाषा किसी समाज, राष्ट्र और उसकी संस्कृति, वहां प्रचलित रीति-रिवाजों, मान्यताओं और परंपराओं को जानने में भी सहायक होती है।

यह सत्य है कि किसी भी भाषा का विकास एकाएक नहीं होता बल्कि उसकी विकास प्रक्रिया सुदीर्घकालीन होती है और समाज में वही भाषा अधिक प्रचलित रहती है, जिसे अधिकांश जनता बोलती है, समझती है और व्यवहार में लाती है। इस दृष्टि से हिन्दी भाषा के महत्व को निर्विवाद स्वीकार किया जा सकता है। " भाषा का प्रयोग समाज में होता है, किंतु समाज के संदर्भ हमेशा एक नहीं होते। बैंक का समाज एक है तो किसी प्रशासनिक कार्यालय का समाज दूसरा, किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला का समाज तीसरा तो किसी विशेष स्थान पर लगे श्रमजीवियों, साहित्यकारों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों इत्यादि का अपना सीमित समाज अलग अलग होता है। समाज के इन परिवर्तों के विषय अलग-अलग होते हैं, अतः इनकी अभिव्यक्ति की आवश्यकताएं भी अलग-अलग होती हैं। इस अलगाव के लिए विषय के अतिरिक्त लोगों का मानसिक स्तर, उस तरह के समाज की परंपरा, मुख्यतः अभिव्यक्ति परंपरा, उसका भूगोल इतिहास उनकी सभ्यता और संस्कृति अनगिनत वे बातें जिम्मेदार हैं जिनसे समाज के अपने निजी व्यक्तित्व का निर्माण होता है"। 1

यह सर्वविदित है कि आज हम जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं उसके विकास में हमारी साधु-संतों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। साधु संतों जैसे कबीर, नामदेव, रैदास, गुरुनानक आदि ने आम जनता की भाषा को अपनाकर समाज में प्रचलित बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठा कर प्रेम और एकता का संदेश दिया। कबीर के शब्दों में -

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पण्डित भया न कोय ।

ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पण्डित होय । 2

समाज सुधारक " केशव चंद्र ने स्वामी दयानंद सरस्वती ,जो गुजराती थे,को अपना ग्रंथ "सत्यार्थ प्रकाश" हिंदी में लिखने का आग्रह किया। कारण यह बताया गया कि हिंदी वह भाषा है जिसे भारत के अधिकांश लोग समझते हैं"। 3

यहाँ उल्लेखनीय है कि हिन्दी भाषा का स्वरूप सदैव एक जैसा नहीं रहा है। जैसे-जैसे शासक बदलते गये वैसे वैसे प्रशासन की भाषा भी बदलती गयी। मुगल आए तो प्रशासन की भाषा अरबी- फारसी हो गई और अंग्रेज आए तो प्रशासन की भाषा अंग्रेजी हो गई। अंग्रेजी के शब्द हिंदी में समावेशित होने लगे। किंतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में हिंदी समाज में प्रचलित रही। हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों ,समाज सुधारकों और साहित्यकारों के अथक प्रयासों से हिन्दी देश की अर्थात् स्वतन्त्र भारत की राजकाज की भाषा बन गयी।

यहां जनसंचार माध्यम पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व जनसंचार क्या है, इस पर विचार करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। जन संचार माध्यम में दो शब्दों का योग है, जनसंचार और माध्यम। जन अंग्रेजी के मास का द्योतक है तथा संचार का अर्थ है सूचना या संदेश। जनसंचार का सामान्य अर्थ है -सूचना, सन्देश, ज्ञान, विचार, मनोरंजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने हेतु अपने विचारों, भावों अनुभवों, संवेदनाओं, अनुभूतियों को संप्रेषित करने के लिए भाषा का आधार ग्रहण करना पड़ता है। ऐसा माना जा सकता है कि जब मनुष्य अपनी अविकसित अवस्था में था तो वह गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र बनाकर अपने भावों और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता था और बाद में उसने पेड़ों की छाल और पत्तों पर लिखना प्रारंभ किया। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत में बहुत पहले से ही अनेक जनसंचार माध्यम थे जैसे शिलालेख, मेले, लोक नाट्य, नृत्य आदि। इन माध्यमों से जनसंदेश जनता तक पहुंचाये जाते थे। राजाओं के काल में सूचना और संदेश घोड़ों और पैदल तथा कबूतरों के माध्यम से भेजे जाते थे। देवऋषि नारद मुनि को प्रथम समाचार वाचक माना जाता है। नारद जी अपनी वीणा के साथ देवलोक और पृथ्वी लोक के मध्य संवाद सेतु थे। इसी प्रकार महाभारत में संजय ने संदेश वाचक बनकर धृतराष्ट्र और गांधारी के सम्मुख युद्ध दृश्यों के विवरण सुनाए।

आधुनिक युग सूचना क्रांति का युग है। जिसमें जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता एवं आवश्यकता दिन - प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंचार माध्यम एक ओर समाज को सच्चाई का आईना दिखाते हैं और दूसरी ओर समाज की प्रगति के लिए दिशा- निर्देश भी देते हैं। आधुनिक युग में हम जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक संचार करता रहता।

जनसंचार माध्यमों ने हमारी भूगोलिक दूरियों को दूर किया है। परिणामतः इन की सहायता से हम सांस्कृतिक और मानसिक रूप से हम और अधिक समीप आ रहे हैं। " जनसंचार माध्यम जनता, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए सजग प्रहरी है, जो हमें गरीबी का भूगोल, पूंजीपतियों का अर्थशास्त्र और नेताओं का समाजशास्त्र पढ़ाते हैं"। 4 जब हम जनसंचार माध्यमों के द्वारा अपना संदेश या सूचना आम जनता और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना चाहते हैं तब हमें भाषा की आवश्यकता होती है तो इसके लिए हम जनसामान्य की भाषा को अपनाते हैं और हिंदी जन सामान्य की भाषा है। यही कारण है कि सामान्य जनता बाजार में, रेलवे प्लेटफार्म पर, डाकघर में स्कूलों, कॉलेजों आदि स्थानों पर हिंदी में ही बातचीत करती है। हिंदी की ऐसी भाषा है जो देश के कोने कोने में बोली और समझी जाती है।

आधुनिक युग भौतिकता वादी युग हैं। जिसमें प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाने लगा है। यह सत्य है कि जिसकी जितनी उपयोगिता होगी, वह वस्तु उतनी ही बाजार में टिक पाती है। यही स्थिति भाषा की भी होती है। हिंदी ने अपनी उपयोगिता के कारण स्वयं को बाजार से जोड़ लिया है। जनसंचार माध्यमों के लिए एक अनिवार्य तत्व है।

आधुनिक जनसंचार माध्यमों को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है -

1. **प्रिंट मीडिया** - जिसके अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाओं को सम्मिलित किया जा सकता है।
2. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया** - जिसके अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट आदि को लिया जा सकता जा सकता है।

समाचार पत्र और पत्रिकाएं -

भारतीय संविधान में बोलने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लोकतंत्र में समाचार पत्रों का विशेष महत्व है। जिनका कार्य केवल सूचना देना ही नहीं है बल्कि साहित्य धर्म सामाजिक, राजनैतिक, बुराइयों और अंधविश्वासों, रूढ़ परंपराओं संस्कृति, घरेलू समस्याओं का पर्दाफाश करना भी समाचार पत्रों का दायित्व है। भारत का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तण्ड है। समाचार पत्रों ने देशवासियों में देश प्रेम जागृत करने और अंग्रेजों की शोषक प्रवृत्ति का खुल कर विरोध करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। पत्र-पत्रिकाओं के विषयों की विविधता के कारण भाषा शैली भिन्न-भिन्न होती है। स्वतंत्रता से पूर्व के पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दुस्तान, सरस्वती, प्रदीप, विशाल भारत आदि उल्लेखनीय हैं। पत्रकारों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, रघुवीर सहाय, बालमुकुन्द गुप्त और मनोहर श्याम जोशी आदि प्रमुख थे।

वस्तुतः समाचार पत्र किसी विशेष वर्ग के लिए प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, इन्हें सभी वर्गों के पढ़ते हैं। यहां तक की कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समाचार पत्र पढ़ना अधिक पसंद करता है। समाचार पत्रों में हिंदी भाषा का एक अलग रूप दिखाई देता है। घटनाओं के जो शीर्षक दिये जाते हैं, वे बहुत ही आकर्षक और रोचक होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के रूप में को देखा जा सकता है-

सोनी में उछाल चांदी में गिरावट ।
 नियमों की धज्जियां उड़ा रही है शिक्षण संस्थाएं ।
 अध्यक्ष ने करोड़ों का चुनाव लगाया ।
 लालची दूल्हा माता पिता के साथ हवालात में ।

Beautiful homes at prime location , चैप्टर -अतीक का अन्त

Football roundup ,फुटबॉल मैच की समाप्ति 2 मार्च,नवभारत टाइम्स , 2022

चैप्टर -अतीक का अन्त, जनाजा ,सुपुर्द एक खाककर दिया डेड बॉडी को, पोस्टमार्टम 3, अप्रैल, 2023
 नवभारत टाइम्स ।

क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण समाचारों की भाषा में आंचलिक शब्दों की अधिकता होती है । जिसे हिन्दी भाषा की ग्राह्य क्षमता कहा सकता है । इतना ही नहीं समाचार पत्रों में खेलकूद की, बाजार की, विज्ञापनों की भाषा भी अलग-अलग होती है । समाचार पत्र का उद्देश्य पाठकों तक समुचित सूचना पहुँचाना है । इसलिए समाचार पत्रों में हिंदी शब्दों के साथ-साथ अंग्रेजी शब्दों और क्षेत्रीय शब्दों की भरमार को देखा जा सकता है । अनेक पत्र पत्रिकाएं जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत, लोकमत, राष्ट्रीय सहारा आदि समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं । इसी प्रकार अक्षरा, कथादेश, हंस और लुकाउट, इंडिया टुडे, वसुधा, नवनीत, मधुमती, नया ज्ञानोदय, गृहशोभा, अभिव्यक्ति, नई दुनिया जैसी उच्च स्तर की पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, जो हिंदी भाषा की व्यापकता और व्यावहारिकता की ओर संकेत करती हैं ।

रेडियो या आकाशवाणी

आज के बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक युग में रेडियो का महत्व ज्यों का त्यों है । आज भी रेडियो पर भाषा का शुद्ध और स्पष्ट रूप सुनने को मिलता है । मेक ब्राइड के अनुसार " विकासशील देशों में रेडियो ही वास्तविक जनमाध्यम का रूप है और जनसंख्या के एक बड़े अनुपात पर इसकी पकड़ है दूसरा कोई ऐसा बड़ा माध्यम नहीं है जो सूचना शिक्षा संस्कृति और मनोरंजन के रूप में उस कुशलता के साथ पहुंचने की क्षमता रखता हो" । 5 आकाशवाणी पर केवल समाचार ही प्रसारित नहीं होते बल्कि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का भी प्रसारण होता है । कहने का अभिप्रायः यह है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक और समसामयिक विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं । आज भी आकाशवाणी के द्वारा कहानियों, नाटकों, कविताओं तथा विभिन्न विषयों पर परिचर्चाओं के आयोजन आदि के माध्यम से समाज में नयी चेतना संचारित करने का कार्य किया जा रहा है । रेडियो पर साहित्य के साथ-साथ संगीत के कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है । रेडियो पर प्रसारित होने वाली भूले-बिसरे गीत, छाया गीत ने हिंदी के विकास में अपना सहयोग प्रदान किया है । हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी अहम भूमिका निभा रही है । समय के अनुसार उसकी भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ । रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

टेलीविज़न

आज के जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न अर्थात दृश्य-श्रव्य माध्यम सबसे अधिक प्रभावशाली एवं लोकप्रिय है। टेलीविज़न के विभिन्न चैनलों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं धारावाहिक प्रसारित किये जाते हैं। हिंदी धारावाहिकों के कारण टेलीविज़न की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिंदी धारावाहिकों में हम लोग, रामायण, महाभारत, बुनियाद, कहानी घर घर की कहानी, कसौटी जिंदगी की, बालिका वधू आदि को बहुत लोकप्रियता मिली। अनुपमा, इमली, तेरी मेरी डोरियां, यह रिश्ता क्या कहलाता है आदि धारावाहिक खूब देखे जा रहे हैं। यदि हम भाषा की दृष्टि से देखे तो बुनियाद धारावाहिक की भाषा अधिक उत्कृष्ट थी। जब हम रामायण और महाभारत और भारत एक खोज जैसे पौराणिक धारावाहिकों को देखते हैं तो इनसे हमारी संस्कृति को एक पहचान मिली और ये राष्ट्रीय एकता के सूत्र भी बने। नए संस्कारों से जनता में नई सोच उत्पन्न हुई। इन्होंने नई पीढ़ी का अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से परिचय कराया। बालिका वधू, ना आना इस देश लाडो जैसे धारावाहिकों में सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार के धारावाहिकों को देखकर दर्शक वर्ग उनसे ऐसा जुड़ता है मानो धारावाहिकों में घटित हो रही सभी घटनाएं उसके अपने जीवन की घटनाएं हो। इन धारावाहिकों ने हिंदी को भारत के कोने-कोने में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। प्रवासी भारतीय भी धारावाहिकों को बड़े प्रेम और उत्सुकता के साथ देखते हैं। भाषा की दृष्टि से हिन्दी धारावाहिक उत्तम है। विशेषतः भाषा ही एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ते का कार्य करती है। धारावाहिकों अथवा दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की भाषा एक जैसी नहीं होती है। विषय और परिवेश के कारण प्रयुक्त हिंदी के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है।

विशेषतः टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले समाचारों की मिश्रित भाषा अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अधिक प्रचलन हो रहा है। टेलीविज़न ने एक ओर हिन्दी के विकास को विस्तारित किया वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी चैनल, कार्टून, विज्ञापन, क्राइम पेट्रोल आदि कार्यक्रमों की भाषा अलग होती है। टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाले विभिन्न प्रोडक्टों के विषय में हिंदी में ही बताया जाता है। विदेशी चैनलों ने भी जान लिया है कि यदि हम भारत में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसकी जनता की भाषा को अपनाना होगा और उसी में हमें प्रोडक्ट बेचने होंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि टेलीविज़न के लिए हिंदी एक सशक्त भाषा है।

सिनेमा

जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न की भांति सिनेमा भी एक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली माध्यम है। सिनेमा उद्योग ने खुले दिल से हिंदी को अपनाया है। यही कारण है कि हिंदी में सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्म निर्देशक सिनेमा में हम जीवन को केवल शब्दों के माध्यम से नहीं वरन् शब्दों और दृश्य ध्वनियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। फिल्म और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। निर्माता फिल्म समाज से विभन्न

विषयों का चुनाव करके उनको आधार बनाकर फिल्मों का निर्माण करता है। फिल्म में सभी कलाओं जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य कला, फोटोग्राफी, स्थापत्य कला आदि का समावेश होता है। आज सिनेमा को मनोरंजन का साधन स्वीकार करने के साथ-साथ एक कला के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। देश के नक्शे पर ऐसे कई स्थान होंगे, जहाँ पुस्तकें और समाचार पत्र तक नहीं पहुंच पाते, किंतु वहाँ हिंदी फिल्मों अवश्य पहुंची है। जो हिंदी की लोकप्रियता के कारण संभव हुआ। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के शब्दों में- “फिल्म छवि है, फिल्म शब्द है, फिल्म गति है, फिल्म नाटक है, फिल्म कहानी है, फिल्म संगीत है, फिल्म में मुश्किल से एक मिनट का टुकड़ा भी इन सब बातों को एक साथ दिखा सकता है”।⁶ इसी प्रकार फिल्म निर्देशक ऋत्विक् घटक मानते हैं कि “ फिल्मों में मानव जीवन के सुखद एवं दुःखद भावों को साकार करना ही मेरा उद्देश्य है। मैंने अपनी फिल्मों में अपने देश के लोगों की पीड़ाओं एवं दर्द को अपनी स एवं कटुता आदि बने मस्त क्षमताओं के साथ चित्रित किया है। उसमें ईमानदारी की कहीं कोई भी कमी नहीं है”।⁷

स्वतंत्रता से पूर्व हमारे समाज अनेक प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कर्मकांडों तथा अनमेल विवाह, जाति प्रथा, बाल विवाह जैसी समस्याओं से ग्रस्त था। जिसके परिणाम स्वरूप उस समय जो फिल्में बनाई गई थी उनमें देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराना और समाज को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए समाज को जागृत करना हेतु फिल्मों में सामाजिक समस्याओं को दर्शाया गया और पड़ोसी, दुनिया ना माने, अछूत कन्या, खानदान, सुजाता जैसी फिल्में बनीं। इन फिल्मों ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया अपितु समाज में प्रचलित बुराइयों के विषय में सोचने पर भी विवश किया। स्वतंत्रता के पश्चात जैसे-जैसे हमारी व्यवस्था और हमारी जीवन शैली तथा जीवन मूल्य में परिवर्तन आए वैसे वैसे फिल्मों के विषय भी बदले। फिल्मों के विषयों में संप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, स्त्री पुरुष संबंधों में आया खुलापन और उससे उत्पन्न तनाव एवं कटुता आदि को चित्रित किया।

परिवर्तित समय के साथ फिल्मों के विषय बदले और भाषा में भी परिवर्तन आया। उन दिनों पटकथा लिखने वाले गीतकार, संगीतकार, मुसलमान थे, जिसके कारण हिंदी भाषा पर उर्दू भाषा का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। मगले ए आजम फिल्म के संवादों को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। आज जनसंचार की भाषा शुद्ध हिन्दी के स्थान पर मिश्रित भा। हो गयी है। इससे पूर्व कहा गया है कि फिल्मों की भाषा पर क्षेत्रीय भाषा का अवश्य प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ फिल्मों से लिए गये संवादों को देखा जा सकता है जिनमें अंग्रेजी, हरयाणवी, मराठी शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसे--

निम्नलिखित संवादों पर अंग्रेजी, मराठी और हरयाणवी भाषा का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है -

Dont Under Estimate The Power Of A Common Man” (फिल्म – चेन्नई एक्सप्रेस)

गलतियां सबसे होती हैं बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ सेकंड चांस (फिल्म – एबीसीडी 2,)

Life is a race ... If you don't run fast... you will be like a broken andaa (3 Idiots)

These Boys must realised that No का मतलब No होता है। उससे बोलने वाली कोई परिचित हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना हो।

No means no and when some one says no (पिंक फिल्म)

म्हारी छोरियाँ छोरों सै कम है के
मैं अपनी छोरियों को इतना काबिल बना लूंगा के
छोरे उन्हें देखने नहीं वो छोरो नै देखण जाएगी ।
गोल्ड तो गोल्ड होता है छोरा लावे या छोरी । (दंगल)

फिल्म सिर्फ तीन चीजों से चलती है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट (डर्टी पिक्चर)

दोस्ती का उसूल है मैडम ,No Sorry , No Thanks

अनेक फिल्म निर्माताओं ने साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाई जैसे शतरंज के खिलाड़ी, दो बैलों की कथा , सद्गति, गोदान, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, उसने कहा था, उसकी पंचवटी .सूरज का सातवां घोड़ा, चित्रलेखा आदि हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं से हिंदी फिल्मों का निर्माण किया गया जैसे हजार चौरासी माँ नामक उपन्यास पर हजार चौरासी की माँ इसी नाम से फिल्म बनाई गई। हिंदी को सर्वग्राही बनाने में फिल्मों का जितना अधिक योगदान है उतना साहित्य का नहीं है क्योंकि साहित्य की तुलना में संचार जनमाध्यम अधिक प्रभावशाली होते हैं। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाते समय फिल्म निर्माता उनके संवादों और भाषा में परिवर्तन कर देते हैं। निर्माताओं पर यह भी आक्षेप लगाए जाते हैं कि फिल्मों में भाषा की शुद्धता पर बल नहीं दिया जाता और फिल्मों के कारण हिंदी भाषा की शुद्धता में कमी आई है, अर्थात भाषा बिगड़ गई है। पर ऐसा नहीं है, फिल्मों की पटकथा लिखने वाले बड़े-बड़े विद्वान होते हैं। कमलेश्वर, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी, गुलजार. जावेद अख्तर, जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी में छुपी हुई ताकत एवं संभावनाओं को फिल्मों के माध्यम से बाहर निकाला है। फिल्म निर्माता अपने ढंग से भाषा के स्वरूप को बदलते हैं। फिल्म निर्देशक फिल्म के परिवेश और पात्रों के अनुकूल हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्में बनाई जाती हैं पर हिंदी में अधिक बनाई जाती है।

संदर्भ

1 . हिन्दी साहित्य का इतिहास श्यामसुन्दर कपूर, पृष्ठ संख्या-16

2 हिन्दी काव्य,विवेक शंकर, पृष्ठ संख्या-91

3. हिन्दी साहित्य का इतिहास, श्यामसुन्दर कपूर, पृष्ठ संख्या-25
4. जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता, डॉ.अर्जुन तिवार, पृष्ठ संख्या -01
5. प्रयोजनमूलकहिन्दी -नये संदर्भ, सुमित मोहन, पृष्ठ संख्या-185
6. भारतीय सिने सिध्दान्त, अनुपम ओझा, पृष्ठ संख्या-37
7. साहित्य और सिनेमा, हरिश शर्मा, पृष्ठ संख्या-125
8. प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध रूप, डॉ राजेन्द्र मिश्र, पृष्ठ संख्या-
9. हिन्दी पत्रकारिता,मीडिया लेखन ,डॉ.अरुणा वर्मा, पृष्ठ संख्या - 301
